रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 10—मार्च 16, 2019, शनिवार/फाल्गुन 19—फाल्गुन 25, 1940

No. 11] NEW DELHI, MARCH 10—MARCH 16, 2019, SATURDAY/PHALGUNA 19— PHALGUNA—25, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

सा.का.नि.73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पशु चिकित्सा ड्रेसर) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में वेटेनरी ड्रेसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :

    (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (पशु चिकित्सा ड्रेसर) भर्ती नियम, 2019 है।

    (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(II) स्तंभ (11) में, शब्दों के स्थान पर "बुनियादी या प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है" शब्द "जिसने पूर्व–प्रोन्नयात्मक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो" रखे जाएंगें।

[फा.सं. 17/5/एस.एस.बी./सी.एस.सी./जीपी. "बी" एवं "सी"/2018/एस.एफ.एस.]

विनोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल नियम सा.का.नि. 128, तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 22 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2018 में साप्ताहिक प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 11th March, 2019

G.S.R.74 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Service (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2018, namely: -

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Service (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Service (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2018, in the Schedule,-

(A) against serial number 1 relating to the post of Sub Inspector (Communication), in column (11), for the words "have successfully qualified basic or promotional courses", the words "who have successfully completed pre-promotional course or courses" shall be substituted;

(B) against serial number 2 relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Communication), in column (11), for the words "have successfully qualified basic or promotional courses", the words "who have successfully completed pre-promotional course or courses" shall be substituted;

(C) against serial number 3 relating to the post of Head Constable (Communication),-

(I) in column (10), for the letter, figures and words "(i) 10 per cent by promotion", the letter, figures and words "(i) 10 per cent by promotion failing which by direct recruitment." shall be substituted;

(II) in column (11), for the words "have successfully qualified basic or promotional courses", the words "who have successfully completed pre-promotional course or courses" shall be substitute.

[F. No. 17/5/SSB/CSC/Gp. 'B' & 'C'/2018/SFS]

VINOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the weekly Gazette of India, (Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd April to 28th April, 2018 vide G.S.R.128 dated the 23rd April, 2018.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

सा.का.नि.75.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में उप निरीक्षक(पशु चिकित्सा), हैड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा), हैड कांस्टेबल (लैब तकनीशियन) एवं हैड कांस्टेबल (रेडियोग्राफर) के ग्रुप ''ख'' और ग्रुप ''ग'' पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह ''ख'' एवं ''ग'' पशु चिकित्सा पदों (योधक) की भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बधित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के सतम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** .– वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. (I) भर्ती के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.– इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप– 1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

व्याख्या :– इस नियम के अंतर्गत शेप– 1 का अर्थ उस चिकित्सा श्रेणी से है जिसे नीचे परिभाषित किया गया है अर्थात् :–

(i) शेप में दर्शाए गए कोड वर्ण जिनका अलग–अलग विवरण नीचे दिया गया है, के अन्तर्गत अधिकारी की योग्यता आंकलन करने के बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा वर्गीकरण किया जाएगा अर्थात् :–

एस – मनोवैज्ञानिक

एच – श्रवण शक्ति

ए – उपांग

पी – शारीरिक क्षमता

ई – दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक में ग्रेड–1 वाले अधिकारी को छोड़कर दूसरे अधिकारियों के प्रत्येक फैक्टर के अंतर्गत उनकी घटती हुई कार्यात्मक दक्षता को दर्शाते हुए उनकी कार्यात्मक क्षमता को प्रत्येक कोड वर्ण के आगे 1 से 5 अंकों के माध्यम से लिख जाएगा । प्रत्येक फैक्टर में ग्रेड–1 वाले अधिकारी की श्रेणी को एस1, एच1, ए1, पी1, ई1 लिखने के बजाय शेप –1 लिखकर दर्शाया जाए । इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(1) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त ।

(2) सभी कर्तव्यों के लिये उपयुक्त किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता के क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती है ।

(3) ''एस'' घटक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और लम्बे समानुदेशन के लिये नियोजनीयता की परिसीमाएं हो सकती है ।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

(II) प्रोन्नति के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.– अनुसूची में सम्मिलित योधक स्टाफ की एक पद से किसी दूसरे श्रेणी या पद में प्रोन्नति के लिए व्यष्टि को सरकार द्वारा विहित शेप–1 चिकित्सा प्रवर्ग के अनुरूप होना होगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप निरीक्षक (पशु चिकित्सा कंपाउंडर)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''ख'' योधक, अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 06 (रु. 35400–112400)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु– सीमा
(6)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन किया जाएगा
(11)
1. प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर चार रू0 25500– 81100 में हैड कांस्टेबल (पशुचिकित्सा) में से पदोन्नति जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने संबंधित श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो । **2. प्रतिनियुक्त द्वारा :** केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों के वे अधिकारी जो :– क (i) **अपने** मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद को धारण करते हो । (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर– 4 (रू0 25500– 81100/–) में नियुक्ति के बाद दस वर्षों की नियमित सेवा की हो, और ख निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों,– (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशुचिकित्सा स्टाक सहायक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो ; और (ii) जानवरों के विभिन्न प्रजातियों विशेष रूप से घोड़ा और श्वान के ईलाज से संबंधित किसी केन्द्र या राज्य के पशुचिकित्सा हॉस्पिटल से 3 वर्षों का क्षेत्र अनुभव और पशुचिकित्सा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी चलाने संबंधी प्रबंधन करने योग्य हो । **टिप्पण 1** :प्रतिनियुक्त की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** :प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** :पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो सीधे प्रोन्नति की पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे और इसी तरह जो प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह '' ख '' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टिकरण/परिवीक्षा के लिए विचार हेतु) में शामिल होंगे । (1) महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल . – अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी (पशु चिकित्सा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हैड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा)	03* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''ग'' योधक, अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 04 (रू0. 25500– 81100)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :. (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान) इण्टरमीडियट या 10+2 कक्षा उत्त्तीर्ण या समतुल्य । (2) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा थेरापिटीक/पशु धन प्रबंध से संबंधित कम से कम एक वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाण पत्र । (3) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड : (क) ऊँचाई : पुरूषों के लिए 170 सेंटीमीटर , महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर (ख) छाती : (i) पुरूषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव (ii)महिलाओं के लिये लागू नहीं। (ग) भार : पुरूष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में) (4) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और छाती में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमन्य होगीः– (i) ऊँचाईः– (क) गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ,असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । (ख) अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा

के लिए 150 सेंटीमीटर होगी । (ii) छाती : (क) गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर (05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । (ख) अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । (ख) **चिकित्सा मानदंड** :– (क)आंखो की दृष्टि : बिना किसी सुधार के चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ख) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । (ग) इशाहर के परीक्षण के साथ–साथ एड्रिच– ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाएगी। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो , से मुक्त हों । (2) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से पशु चिकित्सा क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।			

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह '' ग'' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु विचार के लिए) इसमें निम्नलिखित होंगे:– (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी(पशु चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हैड कांस्टेबल (लैब तकनीशियन)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''ग'' योधक, अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (रू. 25500–81100)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता : (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान) से इण्टरमीडियट या 10+2 कक्षा उर्त्तीण या समतुल्य । (2) सरकारी अस्पताल/सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

/संस्थानों से वेटनरी लैब तकनीशियन में 1 वर्ष के अनुभव के साथ वेटनरी लैब तकनीशियन में 2 वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र कोर्स । (3) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड : (क) ऊँचाई : पुरूषों के लिए : (i) 170 सेंटीमीटर , (ii)महिलाओ के लिए : 157 सेंटीमीटर (ख) छाती : (i) पुरूषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव (ii)महिलाओं के लिये लागू नहीं। (ग) भार : पुरूष और महिलाओं के लिए : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में । (4) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमन्य होगीः– (i) ऊँचाईः– (क) गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ,असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । (ख) अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी । (ii) छाती : (क) गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर (05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । (ख) अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । (ख) **चिकित्सा मानदंड** :– (क) आंखो की दृष्टि : बिना किसी सुधार के चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ख) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । (ग) इशाहर के परीक्षण के साथ–साथ एड्रिच– ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाएगी। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो से मुक्त हों । 2. वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से वेटनरी लैब तकनीशियन क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।			

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह '' ग'' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः– (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल .– अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी(पशु चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. हैड कांस्टेबल (रेडियोग्राफर)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''ग'' योधक, अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (रू0. 25500–81100)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता : (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान) से इण्टरमीडियट या 10+2 कक्षा उर्त्तीण या समतुल्य । (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा रेडियोग्राफर में डिग्रियां/ डिप्लोमा प्रमाण पत्र । (3) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड : (क) ऊँचाई : पुरूषों के लिए 170 सेंटीमीटर , महिलाओ के लिए : 157 सेंटीमीटर (ख) छाती : (i) पुरूषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव (ii)महिलाओं के लिये लागू नहीं। (ग) वजन : पुरूष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में) (4) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमन्य होगीः– (i) ऊँचाईः– (क) गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ,असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरूषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । (ख) अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी । (ii) छाती : (क) गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर (05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । (ख) अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरूष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

होगा । (ख) **चिकित्सा मानदंड** :– (क)आंखो की दृष्टि : बिना किसी सुधार के चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ख) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । (ग) इशाहर के परीक्षण के साथ–साथ एड्रिच– ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाएगी। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो , से मुक्त हों । 2. वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से वेटनरी रेडियोग्राफर क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।			

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह ''ग'' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे । (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल . – अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी(पशु चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. आर. II. 1/2019 चिकित्सा–1 केरिपुबल/गृह मंत्रालय (कार्मिक–II)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक–II)

New Delhi, the 14th March, 2019

G.S.R.75.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949(66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub- Inspector(Veterinary Compounder), Head Constable(Veterinary), Head Constable (Lab Technician), Head Constable (Radiographer), Group 'B' and Group 'C' posts in the Ministry of Home Affairs , Central Reserve Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Veterinary Cadre Group 'B' and Group 'C', (Combatised), Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the Pay Matrix.— The number of the said posts, their classification, level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc,- The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person.-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **(I) Medical fitness for appointment.—**Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE- I shall be eligible for appointment under these rules.

***Explanation*,-** For the purpose of this rule medical category "SHAPE-1" shall have the following meaning, namely:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters 'SHAPE, which represent the following function, namely:-

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eyesight .

(ii) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals shall be written next to the code letter, except where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1, H1, A1, P1, E1. General evaluation of these numerals are as under-

(1) Fit for all duties anywhere in India.

(2) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.

(3) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have Limitations of employability at high altitude (2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(4) Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave.

(5) Permanently unfit for duties.

(II) **Medical fitness for promotion.—** For Combatised staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the Schedule, individual shall be required to confirm to medical category SHAPE-I as prescribed by the Government.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

7. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sub Inspector (VeterinaryCompounder)	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- B, Combatised, Non Gazetted (Non Ministerial)	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-)	Selection

Age limit for direct recruits
(6)
Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**:-Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
1.By Promotion.- Promotion from amongst the Head Constable (Veterinary) in level -4 (Rs. 25500-81100/-) of the pay matrix who have rendered not less than ten years regular service in their respective grade (s) in the Central Reserve Police Force. **2. By Deputation.-** Officers in the Central Government or State Government or Union territories- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service rendered after appointment in level-4 (Rs. 25500-81100/-) of the pay matrix; and (b) Possessing the following educational qualification and experience,- (i) pass in Veterinary Stock Assistant course from a recognised institute, and (ii) three years field experience in the treatment of various species of animals particularly equine and canine from any Central or State veterinary hospital and able to manage or run veterinary hospital or dispensary. **Note 1** : The period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2** : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Note 3** : The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1. Group 'B' Departmental promotion Committee (for considering promotion and confirmation /probation) consisting of :- (1) Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force –Chairman (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force –Member (3) Medical officer (Veterinary), Central Reserve Police Force –Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Veterinary)	03* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group "C" Combatised, Non Gazetted (Non Ministerial)	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)	Not applicable

(6)
Between 18 to 25 years. (relaxable for the Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note** : The crucial date for determining the age - limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date specified for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
1. Essential : (1)10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) or equivalent from a recognised Board. (2) Degree or Diploma or certificate of minimum one year duration related to veterinary therapeutic or live stock management from any Government recognised institution. (3) Physical and Medical Standard : (A.)Physical Standard : (a) Height : (i) For Males : 170 centimetres (ii) For Females : 157 centimetres (b) Chest : (i)For Males : Unexpended : 80 centimetres. Expended : Minimum expansion 5 centimetres. (ii) For Females : Not applicable. (c) Weight : (For Males and Females) Proportionate to height and age as per Medical standards. (4) The relaxation shall be permissible in height and chest to the candidates as follows :- (i) Height : (a) Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur , Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 165 centimetres for male and 155 centimetres for females. (b) The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 centimetres for males and 150 centimetres for females. (ii) Chest : (a) The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 78 centimetres (minimum 5 centimetres expansion). (b) The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 centimetres (minimum 5 centimetres expansion) . (B) Medical Standards :	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(a) Eye Sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses. (b) The candidates shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. (c) The candidates shall be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich - Green Lantern Tests and they shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. (2) Desirable : One year experience in the field of Veterinary from a recognised Hospital or Institute.			

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committe (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force – Chairman; (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force - Member; (3) Senior Medical Officer or Medical Officer or Medical officer (Veterinary) Central Reserve Police Force –Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable (Lab Technician)	01* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C' Combatised, Non Gazetted (Non Ministerial)	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)	Not applicable

(6)
Between 18 to 25 years. (relaxable for the Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note :** The crucial date for determining the age -limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date specified for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
1.Essential : (1)10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) or equivalent from a recognised Board. (2) Two years Diploma or Certificate course in Veterinary Lab Technician with one year experience as veterinary lab technician from Government Hospital or Government	Not applicable	Two years	By direct recruitment

recognised hospital or Government Institutions. (3) Physical and Medical Standard : (A)Physical Standard : (a) Height :(i) For Males : 170 centimetres. (ii) For Females : 157 centimetres (b)Chest : (i)For Males : Unexpended : 80 centimetres. Expended : Minimum expansion 5 centimetres. (ii)For Females : Not applicable. (c) Weight : (For Males and Females): Proportionate to height and age as per Medical standards. (4) The relaxation shall be permissible in height and chest to the candidates as follows :- (i)Height : (a) Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 165 centimetres for male and 155 centimetres for females. (b) The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 centimetres for males and 150 centimetres for females. (ii) Chest : (a) The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 78 centimetres (minimum 5 centimetres expansion). (b) The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 centimetres (minimum 5 centimetres expansion) . (B) Medical Standards : (a) Eye Sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses. (b) The candidates shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. (C)The candidates shall be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich - Green Lantern Tests and they shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. 2. Desirable : One year experience in the field of Lab Technician from a recognised Hospital or Institute .			

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force – Chairman (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force – Member (3) Senior Medical Officer or Medical Officer or Medical Officer (Veterinary) Central Reserve Police Force – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Head Constable (Radiographer)	01*(2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C' (Combatised) Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100/-)	Not applicable

(6)
Between 18 to 25 years. (relaxable for the Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date specified for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
1. Essential : (1) 10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) or equivalent from a recognised Board. (2) Degrees or Diploma Certificates programmes in veterinary radiography from a recognised Institution. (3) Physical and Medical Standard : (A) Physical Standard : (a) Height :(i) For Males : 170 centimetres. (ii) For Females : 157 centimetres (b)Chest : (i)For Males : Unexpended : 80 centimetres. Expended : Minimum expansion 5 centimetres. (ii)For Females : Not applicable. (c) Weight : (For Males and Females): Proportionate to height and age as per Medical standards. (4) The relaxation shall be permissible in height and chest to the candidates as follows :- (i)Height : (a) Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 165 centimetres for male and 155 centimetres for females.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(b) The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 centimetres for males and 150 centimetres for females. (ii) Chest : (a) The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 78 centimetres (minimum 5 centimetres expansion). (b) The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 centimetres (minimum 5 centimetres expansion) . (B) Medical Standards : (a) Eye Sight : The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses. (b) The candidates shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. (C)The candidates shall be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich - Green Lantern Tests and they shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. 2. Desirable : One year experience in the field of Radiographer from a recognised Hospital or Institute.			

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force – Chairman (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force – Member (3) Senior Medical Officer or Medical Officer or Medical officer (Veterinary) Central Reserve Police Force – Member	Not applicable.

[F. No. R.II.1/2019. Med. I – CRPF/MHA (Pers.II)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि.76.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, हिंदी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-